उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-50/1166/एक-1-2016-24(10)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 30 अगस्त, 2016

**<u>अधिसूचना</u>**

जिलाधिकारी, बदायूं के पत्र संख्या-251/12-ए.बी., दिनाँक 26.06.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम डहरपुर कलाँ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भूमि गाटा संख्या 653 रकबा 1.948 हे0 चिन्हित की गयी। यह भूमि अभिलेखों में जूनियर हाईस्कूल फार्म के रूप में दर्ज है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक बेसिक/9649-50/2016-17, दिनाँक 25.06.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डहरपुर कलाँ में प्रागंण में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना पर बेसिक शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं द्वारा अपनी आख्या दिनाँक 16.06.2016 में उक्त भूमि उपयुक्त होने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक-बे.शि.प./4629-32/2016-17, दिनाँक 08.07.2016 द्वारा उक्त भूमि को राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु इस शर्त के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी है कि भूमि का उपयोग मात्र विद्यालय के हितों के लिये किया जायेगा तथा इसे किसी भी दशा में न तो विक्रय किया जायेगा और न हीं किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय क्षेत्र में बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार का व्यवसायिक निर्माण आदि नहीं कराया जायेगा। राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन निर्माण से जूनियर हाईस्कूल के छात्रों के शिक्षण कार्य में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

2. जिलाधिकारी, बदायूं के प्रस्ताव तथा सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की सशर्त सहमति के आलोक में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम डहरपुर कलाँ परगना सलेमपुर तहसील दातागंज जनपद बदायूं स्थित बेसिक शिक्षा विभाग के प्रबन्धन में रखी गयी भूमि गाटा संख्या 653 रकबा 1.948 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में जूनियर हाईस्कूल फार्म श्रेणी-। ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा गाँव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा हो, खेती करता हो, को माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर नि:शुल्क रखे जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना से जूनियर हाईस्कूल के छात्रों के शिक्षण कार्य में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो।

shasnadesh.up.nic.in

-2-

(2) उक्त भूमि का उपयोग केवल राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु किया जायेगा तथा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति के बिना अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग एवं किसी प्रकार का हस्तान्तरण कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त भूमि पर राजस्व विभाग की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का व्यवसायिक निर्माण आदि नहीं कराया जायेगा।

3. कलेक्टर, बदायूं द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राजस्व अनुभाग-1/शिक्षा अनुभाग-5/शिक्षा अनुभाग-10 उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, बदायूं द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1166(1)/एक-1-2016-24(10)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषदउत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्तबरेली मण्डल, बरेली ।
4. कलेक्टर, बदायू को उनके पत्र संख्या-251/12-ए.बी., दिनॉक 26.06.2016 के क्रम में।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

shasnadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in